

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान बनाम

प्रकरण संख्या/ अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
५ २६/२५	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। कस्तगत प्रकरण का मूलवाद खारिज हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अर्पित नहीं है। प्राथिदा का प्राथिना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली गिनती होकर नम्बर से कम होकर बाकिल दफ्तर है।</p>

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

